

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

क्रमांक

फर्द अहकाम

सु.नं 78/16 तारीख 16.11.16

उपान - मोहनसिंह बनाम प्रभु लाल जाख
जौल

प्रार्थना पत्र अस्थायी विवेधाज्ञा

प्रार्थी की ओर से श्री मनोज कुमार शर्मा A.P. ने प्रार्थना पत्र अस्थायी विवेधाज्ञा पेश किया। प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वकील की एक तरफा बहस सुनी गयी। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अब अप्रार्थी को अन्तर्िम अस्थायी से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम जौल की भूमि ख.नं- 90 रकबा 0.41, 91 रकबा 0.44, 92 रकबा 0.44, 137 रकबा 0.21, 141 रकबा 0.23, 142 रकबा 0.20 कुल कित 6 कुल रकबा 1.93 ख.नं 85 रकबा 0.58, 86 रकबा 0.42 रकबा 87, 0.42, 88 रकबा 0.43 कुल कित 4 कुल रकबा 1.85 हे. भूमि के आगामी पेशी तक रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाने रखे एवं रहने के काम नही करे। अप्रार्थी को जरिये नोटिस से संबन्ध कर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर पत्रावली दिनांक 29.12.16 को पेश हो।

3602-11
17.11.16

उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

29.12.16

प्रार्थी वकील उप.। अर्थात् नं 1, 2, 4 की ओर ले
सूत्र दस्ता में कालतनामा पेश किया है शेष अर्थात्
जाग बखसूद सूचना उपस्थित नहीं है अतः इनके
बिना एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है वस्तु
जबकि दिनांक 11-12 को पेश हो।


उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोड

दिनांक	फर्द अहकाम
--------	------------

11-1-17 वकूलाय उप/ वादी वकील के कथनानुसार मूल दावा में राजीनामा हो जाने पर अज्ञेय कार्यवाही नहीं चलने पर Not Press में मूल दावा खारिज हो गया है इस बिना प्रार्थना पत्र आस्था विवेचना में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है डाल: यह प्रार्थना पत्र आस्था विवेचना में Not Press में खारिज किया जाता है आदेशिका की प्रती लहरी लदा टोड भीम को भिजवा दी जो पत्रावली फंसल शुभप होश गण्ड से कम होय दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे

Not Press
प्रार्थना
(वादी वकील)


 उपजिला कलेक्टर
 टोडभीम (करौली)